उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 17 1-15 सितंबर 2025 ₹ 20/-

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार

- हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने पर बवाल
- फ्रांस में मस्जिदों के बाहर सुअरों के सिर मिलने से हंगामा
- कतर स्थित हमास के मुख्यालय पर इजरायली हमला
- स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में 142 देशों का समर्थन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार 04
राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित 08
हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने पर बवाल 10
भारत में इस्लामिक हुकूमत की साजिश रचने वाले गिरफ्तार 12
तब्लीगी जमात के प्रमुख के खिलाफ मुकदमा खारिज 14

विश्व

फ्रांस में मस्जिदों के बाहर सुअरों के सिर मिलने से हंगामा 15
पाकिस्तान और चीन के बीच साढ़े आठ अरब डॉलर का समझौता 16
तालिबान द्वारा पाठ्यपुस्तकों को शरिया के अनुसार ढालने का अभियान 17
अमेरिका के टेक्सास राज्य में शरिया कानून पर प्रतिबंध 18
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में झड़प 19

पश्चिम एशिया

कतर स्थित हमास के मुख्यालय पर इजरायली हमला 20
स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में 142 देशों का समर्थन 24
अरब देशों द्वारा संयुक्त सेना बनाने पर विचार 26
हूतियों पर इजरायल का हमला 27
नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला 28

सारांश

देश के कई मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में कहा था कि यह कानून उनके धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है, इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इस कानून को रद्द करने की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन इस कानून की तीन धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। उदाहरण के रूप में अदालत ने वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों द्वारा वक्फ विवाद का फैसला करने पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत ने वक्फ बनाने से पहले पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होने वाली शर्त पर भी रोक लगा दी है। सबसे ज्यादा विवाद संशोधित कानून में 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को हटाने पर हो रहा है। मुस्लिम संस्थाओं ने भय व्यक्त किया है कि सरकार इस प्रावधान को हटाकर वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है।

उर्दू अखबारों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों को खुश करने का प्रयास किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को लोकतंत्र और संसद के अधिकारों की जीत करार दिया है। जबकि अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने अदालत के इस फैसले पर असंतोष प्रकट किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे इस कानून के खिलाफ लोकतांत्रिक और कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया है। 142 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसका समर्थन करने वालों में भारत भी शामिल है। उर्दू अखबारों ने भारत सरकार के इस रुख का स्वागत किया है। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जबकि अमेरिका और इजरायल समेत 10 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इजरायल ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वे अपनी विरासत और अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हाल ही में इजरायल ने कतर स्थित हमास के मुख्यालय पर हवाई हमला किया है। इस हमले का लक्ष्य हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना था। हमास का दावा है कि उसके सभी वरिष्ठ नेता सुरक्षित हैं। मुस्लिम देशों और विशेष रूप से अरब देशों ने कतर पर इजरायली हमले की निंदा की है। अरब देशों ने इजरायल का मुकाबला करने के लिए नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों की एक संयुक्त सेना गठित करने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से बचते रहे हैं और उनका विरोध सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहा है।

यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान फ्रांस में रहते हैं। वर्तमान में फ्रांस में 60 लाख से अधिक मुसलमान रह रहे हैं। मुसलमानों के उग्र रवैये को देखते हुए फ्रांसीसी जनता में मुसलमानों के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। जनता के दबाव के कारण फ्रांसीसी सरकार को अपने देश में अप्रवासी मुसलमानों की घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ कानूनी कदम भी उठाने पड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों ने पिछले तीन सालों में वहां के कई लोगों की हत्या की है। यही कारण है कि फ्रांस में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति नफरत की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हाल ही में पेरिस की एक दर्जन मस्जिदों के बाहर सुअरों के कटे हुए सिर मिले हैं। गौरतलब है कि इस्लाम में सूअर को हराम माना जाता है। इस घटना के बाद फ्रांस के कई स्थानों पर मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार फ्रांस में मार्च 2025 में 79 मुस्लिम विरोधी घटनाएं हुई थीं। यह 2024 के मार्च महीने से 72 प्रतिशत अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार

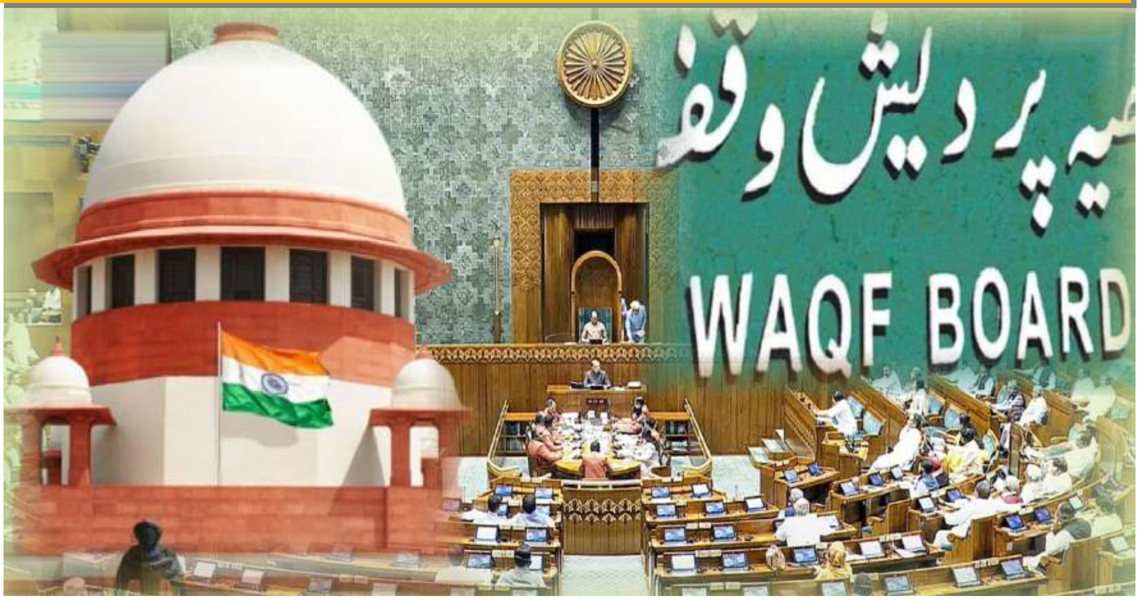

इंकलाब (16 सितंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस कानून की तीन धाराओं पर अस्थाई रोक लगा दी है। नौ मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि यह कानून संविधान में मुसलमानों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जिलाधिकारी को वक्फ भूमि का निर्णय करने का अधिकार देने पर अस्थाई रोक लगा दी है। इसके साथ ही वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होने वाली शर्त पर भी रोक रहेगी। अदालत ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर-मुसलमानों को मनोनीत करने के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि, राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या चार निर्धारित की गई है।

रोजनामा सहारा (16 सितंबर) के अनुसार संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है, जो कम-से-कम पांच साल से इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अस्थाई रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बनातीं कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक इस प्रावधान को लागू न किया जाए, क्योंकि बिना नियम के इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। नए वक्फ कानून में यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर वक्फ संपत्ति के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो उसका निर्णय जिलाधिकारी करेंगे। अदालत ने इस धारा पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक किसी संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल या अदालत से नहीं आ जाता तब तक विवादित वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड

से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक तय करे।

अदालत ने राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति पर तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन यह जरूर कहा है कि जहां तक संभव हो इसका सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। अदालत ने वक्फ संपत्ति के पंजीकरण से संबंधित शर्तों में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह कोई नया नियम नहीं है। यह नियम पहले भी 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में मौजूद था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि अदालत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही संसद से पारित किसी कानून पर स्थगन आदेश दे सकती है या उसे रद्द कर सकती है। अदालत ने 'वक्फ बाय यूजर' पर कहा कि अब ऐसी संपत्तियों का पंजीकरण बिना वैध डीड के नहीं हो सकेगा। अदालत ने कहा कि वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्ति को कब्जा करने की कोशिशों को बेअसर करने के लिए ऐसा करना ठीक है। उल्लेखनीय है कि पुराने कानून में 'वक्फ बाय यूजर' का प्रावधान था। अर्थात् यदि लंबे समय से किसी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा है तो वह संपत्ति वक्फ की मानी जाती थी। चाहे वक्फ बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हों या न हों। गौरतलब है कि नए वक्फ कानून में 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को हटा दिया गया है।

अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम अदालत से और अधिक राहत की उम्मीद कर रहे थे। हमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत दी है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यह इस काले कानून के खत्म होने तक जारी रहेगी। यह नया कानून भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। मदनी ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और उन्हें अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की भी खुली छूट दी गई है। नया वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए हमने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हमें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को रद्द करके हमें संवैधानिक अधिकार दिलाएगी। उन्होंने कहा कि 'वक्फ बाय यूजर' पर अदालत की टिप्पणी बेहद चिंताजनक है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ धाराओं पर अस्थाई रोक लगा दी है, लेकिन हमने अपने संवैधानिक अधिकारों के हनन के बारे में जो भय व्यक्त किया था उसे अदालत ने नजरअंदाज कर दिया है। इससे हमें निराशा हुई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें विश्वास है कि यह फैसला अस्थाई है। हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर पुनर्विचार करे। सरकार के इस नए कानून से वक्फ संपत्ति का संरक्षण नहीं होगा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि

वक्फ संपत्ति को हड़पने वालों को इनाम दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल उन वर्गों के लिए नहीं होगा, जिनके हितों के लिए वक्फकर्ता ने वक्फ का गठन किया था।

इंकलाब (16 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन धाराओं पर जो रोक लगाई है उससे मुसलमानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का पूरा निर्णय आएगा तो वह न्याय पर आधारित होगा। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि 'वक्फ बाय यूजर' को नए वक्फ कानून से खारिज करना इस्लामिक सिद्धांतों और शरिया के खिलाफ है। यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात है। पूर्व सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम इसके खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि इस पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को मोदी सरकार पर 'सुप्रीम तमाचा' करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ की जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों को कौड़ियों के भाव पर सौंपना चाहती थी, लेकिन अदालत ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को वक्फ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वक्फ एक धार्मिक व सामाजिक संस्थान है और उसका प्रबंधन उसी समुदाय के हाथ में रहना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। कांग्रेस के नेता मीम अफजल ने कहा है कि यह आंशिक राहत है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ के संरक्षण के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के वक्फ को हड़पना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील जेडके फैजान ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वर्तमान हालात में हमें इससे अधिक की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा फैसला आना बाकी है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सिर्फ उन दलों की जीत नहीं है, जिन्होंने संसद में इस कानून का विरोध किया था, बल्कि यह जेपीसी के उन सभी सदस्यों की भी जीत है, जिन्होंने विस्तृत असहमति नोट्स प्रस्तुत किए थे। तब उन नोट्स को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब वे सही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आदेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह न्याय, समानता और बंधुत्व की जीत है।

कौमी तंजीम (16 सितंबर) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने

इस फैसले पर विचार करने के लिए देश के बड़े वकीलों का एक बोर्ड बनाया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनसे विचार-विमर्श करके अपना विचार प्रकट करेगा। कांग्रेस सांसद और याचिकाकर्ता इमरान प्रतापगढ़ी ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की जो साजिश रची थी उस पर अदालत ने रोक लगा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वक्फ पर माफिया गिरोहों ने कब्जा कर रखा है और यह कानून वक्फ को माफिया गिरोहों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए लाया गया है।

वक्फ कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग बिना कारण के संसद के फैसले को चुनौती देते हैं। सरकार ने अदालत में इस कानून की मंशा और इसकी धाराओं की व्याख्या की है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। संसद में जब कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। इस कानून पर लोकसभा और राज्यसभा में खूब चर्चा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से साफ है कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही था और इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से पूरे मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति का मनमाना और गलत इस्तेमाल रूक जाएगा। अब वक्फ संपत्ति की आय का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हो सकेगा।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले से संतुष्ट नही हैं। उन्होंने घोषणा की कि अदालत के

इंकलाब (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मुसलमानों को अस्थाई राहत मिली है। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि अदालत अपने अंतिम निर्णय में संविधान में मुसलमानों को दिए गए अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगी।

सियासत (17 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय से जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुई हैं। अदालत ने अपने अंतरिम फैसले में 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म कर दिया है। इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इस्लाम में वक्फ को जो दर्जा प्राप्त है उसकी पुष्टि अदालत ने नहीं की है और उसने वक्फ संपत्ति पर सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। हैरानी की बात है कि अदालत ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का भी परोक्ष रूप से समर्थन किया है। इससे सरकार को वक्फ में मनमाना हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। यही कारण है कि मुसलमानों ने इस फैसले का स्वागत नहीं किया

है। समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों को अपना कानूनी संघर्ष जारी रखना चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

उर्दू टाइम्स (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अधूरा इंसाफ बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकारी कानून के खिलाफ मुसलमानों की बेचैनी दूर नहीं हुई है। मुसलमानों के प्रतिनिधि संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत के इस फैसले पर असंतोष प्रकट किया है। बोर्ड ने कहा है कि वक्फ की गई संपत्ति पर मुसलमानों के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए उनकी मिल्कियत का विवाद जारी रहेगा। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 3 (डी) में यह प्रावधान है कि प्राचीन स्मारक (संरक्षण) अधिनियम, 1904 या प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत प्राचीन स्मारकों के रूप में अधिसूचित संपत्तियों को वक्फ घोषित करना अमान्य है, लेकिन अदालत ने इस पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वक्फ संपत्ति से होने वाली आय का उपयोग किस तरह से किया जाएगा।

संशोधित वक्फ कानून के अनुसार मुसलमानों की वक्फ संपत्ति की आय का लाभ गैर-मुसलमानों को भी मिल सकता है। जबकि वक्फ कानून की बुनियादी शर्त यह थी कि वक्फ संपत्ति की आय का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए होगा। हालांकि, इस पर पहले से ही ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अधूरा न्याय कहा है।

हिंदुस्तान (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, मुसलमानों को कुछ धाराओं में राहत दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में दोनों पक्षों को खुश करने का प्रयास किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अदालत ने मोदी सरकार को मुसलमानों की वक्फ संपत्ति में हस्तक्षेप करने की खुली छूट दे दी है। हालांकि, वक्फ भारतीय मुसलमानों का धार्मिक मामला है। मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और कब्रिस्तान सदियों से वक्फ कानून के तहत मुसलमानों की मिल्कियत रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या अदालत वास्तव में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है या वह इस जिम्मेवारी को टालने का प्रयास कर रही है?

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित

उर्दू टाइम्स (11 सितंबर) के अनुसार राजस्थान विधानसभा में 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' पारित हो गया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानूनी रूप ले लेगा। इस विधेयक के तहत जबरन, प्रलोभन, धोखे से या दबाव

डालकर धर्मांतरण कराने वाले को कम-से-कम सात साल की जेल और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को बताया कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक चाहते थे कि इस विधेयक पर सदन में चर्चा न हो और न ही इसे पारित किया जाए। उनका विरोध निंदनीय था, लेकिन हमने देशहित में इस विधेयक को पारित करवाया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले देश के विभिन्न राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों का बारिकी से अध्ययन किया गया है ताकि इसे कारगर ढंग से लागू किया जा सके।

राजस्थान के एक अन्य मंत्री अविनाश गहलोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण इस महत्त्वपूर्ण विधेयक के पारित करने में रुकावट डाल रही थी। यही कारण है कि कांग्रेस ने विधानसभा में इस विधेयक पर बहस का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसके चार विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के कारण देश को काफी नुकसान हुआ है।

एक अन्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों द्वारा प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण का अभियान चलाया जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने से अवैध धर्मांतरण को रोकने में सफलता मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस विधेयक को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल एक विशेष संप्रदाय का वोट लेने के लिए राई का पहाड़ बना रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले पांच सालों में धर्मांतरण के सिर्फ 13 मामले ही सामने आए हैं। इस अवधि में सामूहिक धर्मांतरण की एक भी घटना नहीं घटी और न ही धर्मांतरण के कारण कोई हिंसक घटना ही हुई है। फिर इतनी जल्दबाजी में इस संबंध में कानून लाने की क्या जरूरत थी?

गौरतलब है कि इस विधेयक के तहत जबरन धर्मांतरण के दोषी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस विधेयक में धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान है। बता दें कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक राजस्थान विधानसभा में तीसरी बार पारित हुआ है। इससे पहले 2006 और 2008 में भी धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो चुके हैं। ये दोनों विधेयक पूर्व

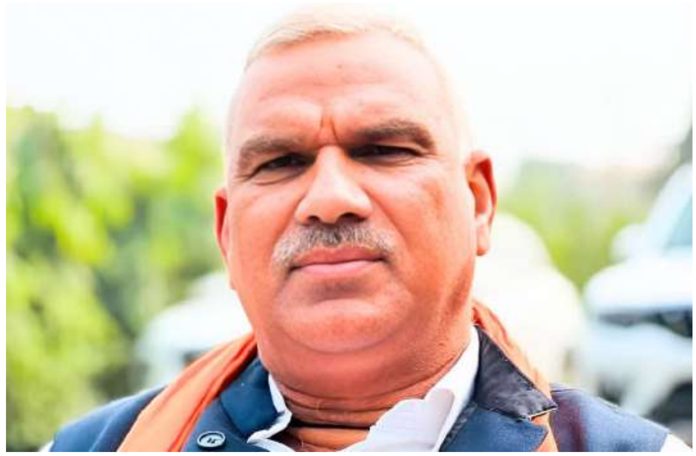

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में पारित किए गए थे और इन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। बाद में अटॉर्नी जनरल की आपत्ति के कारण इन्हें कानूनी दर्जा नहीं मिल पाया था।

वर्तमान विधेयक में छल कपट से धर्मांतरण कराने पर सात से 14 साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नाबालिग लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों का छलपूर्वक धर्मांतरण कराने पर 10 साल से लेकर 20 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया सकता है। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण कराता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस विधेयक में धर्मांतरण के लिए विदेशी और अवैध संस्थानों से धन लेने वाले लोगों के लिए 10-20 साल तक के कठोर कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लक्ष्य से विवाह करता है तो अदालत इस विवाह को रद्द कर सकती है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि राजस्थान से पहले देश के कई अन्य राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया था। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में 2007, उत्तराखंड में 2018, हिमाचल प्रदेश में 2019, उत्तर प्रदेश में 2021, कर्नाटक में 2021 और हरियाणा में 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाए जा चुके हैं।

हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने पर बवाल

इंकलाब (6 सितंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित ऐतिहासिक दरगाह हजरतबल के नवीनीकरण के बाद वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शिलापट्ट लगाया गया था। इस शिलापट्ट के लगाए जाने से भारी बवाल मच गया। उग्र मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दरगाह के अंदर किसी भी तरह की प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। दरगाह के अंदर प्रतिमा जैसी जो वस्तु लगाई गई है वह इस्लाम के खिलाफ है। बता दें कि हाल ही में दरगाह हजरतबल का नवीनीकरण किया गया था। बीते दिनों जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। डॉ. अंद्राबी ने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे एक विशेष पार्टी के लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले उपद्रवी आतंकवादियों से कम नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करती हूं कि इन

उपद्रवियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने अशोक स्तंभ को नष्ट होते देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझ पर बादल फट पड़ा हो।

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद ने दरगाह में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लगाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है।

रोजनामा सहारा (8 सितंबर) के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ तोड़ने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है।

अखबार-ए-मशरिक (7 सितंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरगाह में अशोक स्तंभ लगाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल सरकारी समारोह में होता है, धार्मिक स्थानों पर नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड को इस गलती के लिए राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के इस कदम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है। उमर अब्दुल्ला ने दरख्शां अंद्राबी द्वारा दोषियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने की मांग की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला ने अपने शासनकाल में इस दरगाह की मरम्मत कराई थी। दुनियाभर के मुसलमानों के लिए यह एक पवित्र स्थान है, क्योंकि इसमें इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद का मुए मुबारक (बाल) रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने कभी भी इस दरगाह में अपने नाम का शिलापट्ट लगवाने का प्रयास नहीं किया था। जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता सुनील सेठी ने इस घटना को राष्ट्रद्रोह बताते हुए कहा कि इन उपद्रवियों द्वारा राज्य की शांति और सामाजिक सद्‌भाव में पलीता लगाने की साजिश की गई है।

मुंसिफ (15 सितंबर) ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी भाजपा की नेता हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि क्या इस तरह का शिलापट्ट किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में लगाया गया है? पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी दरगाह परिसर में अशोक स्तंभ लगाने की आलोचना की है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह का शिलापट्ट लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुत्तहिता उलेमा महाज ने भी दरगाह परिसर में अशोक स्तंभ लगाने की निंदा की है और कहा है कि यह इस्लामिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

समाचारपत्र ने कहा है कि दरगाह हजरतबल एक भवन नहीं है, बल्कि यह शताब्दियों से कश्मीरी मुसलमानों का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। इस दरगाह का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में मुगल सूबेदार सादिक खान ने करवाया था। 1634 में जब मुगल बादशाह शाहजहां जम्मू-कश्मीर आया था तो उसने इस दरगाह में नमाज अदा की थी। समाचारपत्र ने कहा है कि इस दरगाह का ऐतिहासिक महत्व है। कश्मीरी व्यापारी ख्वाजा नूरुद्दीन ईशाई हजरत मोहम्मद का मुए मुबारक बीजापुर से लाए थे। तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया था और मुए मुबारक को श्रीनगर से जब्त करके अजमेर भेज दिया था। बाद में उसने अपना यह फैसला बदला और मुए मुबारक को वापस श्रीनगर भिजवा दिया। इसके साथ ही उसने ख्वाजा नूरुद्दीन ईशाई को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कैद में ही नूरुद्दीन की मौत हो गई। तब मुए मुबारक की देखभाल का जिम्मा नूरुद्दीन ईशाई की बेटी इनायत बेगम ने संभाला। इसके बाद से उनके वंशज मुए मुबारक की देखभाल कर रहे हैं। हजरतबल दरगाह की मरम्मत 1968 में शेख अब्दुल्ला ने शुरू करवाई थी।

भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश रचने वाला गिरोह गिरफ्तार

कौमी तंजीम (13 सितंबर) के अनुसार दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आतंकवादियों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने दावा किया है कि इन इस्लामिक आतंकवादियों को दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए बताए जाते हैं। यह गिरोह भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के लिए 'गजवा-ए-हिंद' का जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि इस नेटवर्क में अब

तक 40 से अधिक लोगों के जुड़े होने की जानकारी मिली है। यह गिरोह सिग्नल ऐप के माध्यम से आपस में संपर्क रखता था।

गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में सूफियान अबुबकर, अशर दानिश, आफताब अंसारी, कामरान कुरैशी और मोहम्मद हुजैफा यमन शामिल हैं। अदालत ने इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार इस आतंकवादी गिरोह का सरगना अशर दानिश हाल ही में बम बनाते हुए घायल हो गया था और बारूद फटने से उसके शरीर में कई जगह चोट आई थी। इस गिरोह के तार खूंखार इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं।

सियासत (12 सितंबर) के अनुसार इस गिरोह का मास्टरमाइंड अशर दानिश रांची का रहने वाला है। उसने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री ले रखी है। उसे रांची के इस्लाम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से बम बनाने का सामान, लैपटॉप, नकद राशि और देश के कई महानगरों के नक्शे बरामद हुए हैं। इस गिरोह द्वारा 'गजवा-ए-हिंद' नामक एक ऑनलाइन ग्रुप चलाया जा रहा था। बताया जाता है कि हाल ही में इस गिरोह के लोगों ने हरियाणा के अरावली पर्वत में स्थित एक गुप्त शिविर में बम बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया था। जबकि आफताब और सूफियान को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुंबई भागने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं।

हिंदुस्तान (11 सितंबर) के अनुसार रांची से गिरफ्तार अशर दानिश मूलतः बोकारो का रहने वाला है और वह इंटरनेट पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया था।

इंकलाब (9 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्लामिक आतंकवादियों की तलाश में देश के पांच राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे हैं। सबसे ज्यादा छापे जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर मारे गए हैं। जबकि बिहार में आठ, कर्नाटक, महराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक और उत्तर प्रदेश में दो स्थानों पर छापे मारे गए हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार एनआईए की टीम ने बिहार के कटिहार स्थित दुर्गापुर गांव में मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नूर हाशिम, मोहम्मद मुबारक और मोहम्मद निजाम के घरों पर छापे मारे और कुछ लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। इन सभी लोगों से पटना स्थित एनआईए के कार्यालय में पूछताछ की जा रही है।

तब्लीगी जमात के प्रमुख के खिलाफ मुकदमा खारिज

अखबार-ए-मशरिक (5 सितंबर) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के प्रसार के लिए तब्लीगी जमात को दोषी बताया था और इसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश के 24 स्थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। समाचारपत्र के अनुसार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत में इस मुकदमे को बंद करने से संबंधित रिपोर्ट पेश की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौलाना साद और उनके साथियों के खिलाफ कोरोना महामारी फैलाने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस द्वारा जब्त मौलाना साद के लैपटॉप से बरामद भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 मार्च 2020 को हजरत निजामुद्दीन थाने के थाना प्रमुख की शिकायत पर मौलाना साद और अन्य के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मौलाना साद पर आरोप लगाया गया था कि 21 मार्च 2020 को व्हाट्सएप पर उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई थी। इसमें उन्होंने अपने अनुयायियों से लॉकडाउन व सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने और मरकज के इज्तिमा में शामिल होने की अपील की थी। इसके बाद सरकार ने तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज को सील कर दिया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मरकज को तब्लीगी जमात के हवाले कर दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने तब्लीगी जमात के 70 सदस्यों पर दर्ज मुकदमे को भी खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तब्लीगी जमात के सदस्यों ने किसी प्रतिबंधित गतिविधि में हिस्सा लिया था।

गौरतलब है कि तब्लीगी जमात का गठन 1926 में मौलाना साद कांधलवी के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने किया था। तब्लीगी जमात को विश्व में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। तब्लीगी जमात विश्व के लगभग 150 देशों में सक्रिय है। बताया जाता है कि इस संगठन से लगभग दो करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में तब्लीगी जमात कई हिस्सों में बंट चुका है। इस समय इसके पांच गुट हैं। इनमें से दो गुट भारत में हैं। जबकि दो गुट बांग्लादेश में और एक गुट पाकिस्तान में है।

फ्रांस में मस्जिदों के बाहर सुअरों के सिर मिलने से हंगामा

कौमी भारत (11 सितंबर) के अनुसार फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक दर्जन मस्जिदों के बाहर सुअरों के कटे हुए सिर मिलने से हंगामा मच गया है। इस घटना के बाद मुसलमानों ने फ्रांस के कई स्थानों पर सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन किए हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय देशों में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 15 प्रतिशत है। खास बात यह है कि सुअरों के कटे हुए सिरों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नाम लिखे हुए थे। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। बता दें कि इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम माना जाता है।

पेरिस के पुलिस प्रमुख लॉरेंट नुनेज ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस घटना के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि फ्रांस में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ आक्रोश दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करेगी। पुलिस प्रमुख ने कहा कि फ्रांस इस समय राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी का लाभ उठाकर फ्रांस दुश्मन तत्व देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते हैं। नुनेज ने कहा कि विदेशी तत्व इससे पहले भी फ्रांस में अस्थिरता पैदा करते रहे हैं। पेरिस की ग्रैंड मस्जिद के प्रमुख शम्सुद्दीन हाफिज ने आरोप लगाया है कि यूरोप में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत की भावना भड़काई जा रही है। पेरिस की यह घटना उसी का परिचायक है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखें।

इसी समाचारपत्र ने 12 सितंबर के अंक में प्रकाशित एक समाचार में कहा है कि फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की सामाजिक संरचना सेक्युलर है और मुझे आशा है कि देश के नागरिक इस पुरानी परंपरा का पालन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि फ्रांस में रहने वाले मुसलमान बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करें। रिटेलेउ ने कहा कि दुख की बात है कि इससे पहले भी फ्रांस में कई बार कुरान और रसूल के अपमान की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं के पीछे अतिवादियों का हाथ पाया गया

है। गौरतलब है कि 2015 में फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेब्दो में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून प्रकाशित किया गया था। इस पर कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने इस पत्रिका के कार्यालय पर हमला करके उसमें आग लगा दी थी और इसके 12 कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया था।

अवधनामा (11 सितंबर) के अनुसार इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध के बाद यूरोप के कई देशों में यहूदियों पर हमले किए गए। इसके कारण इन देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना बढ़ी है। हाल ही में अतिवादी मुसलमानों ने जर्मनी में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की मांग को लेकर देशव्यापी उग्र प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों के दौरान आम नागरिकों पर भी घातक हमले किए गए थे। इसे देखते हुए जर्मनी की सरकार ने नौ इस्लामिक संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करके उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया था। जर्मनी के गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि इन इस्लामिक आतंकवादियों के पीछे ईरान का हाथ है।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि फ्रांस में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस में मार्च 2025 में 79 मुस्लिम विरोधी घटनाएं हुई थीं, जो पिछले साल के मार्च महीने से 72 प्रतिशत अधिक है।

पाकिस्तान और चीन के बीच साढ़े आठ अरब डॉलर का समझौता

कौमी तंजीम (6 सितंबर) के अनुसार चीन पाकिस्तान में 8.5 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने चीन दौरे के दौरान चीनी उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए जोर दिया कि चीन पाकिस्तान में अधिक से अधिक पूंजी निवेश करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रक्षा के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प है। चीन ने आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों के निर्माण में सहयोग देगा। चीन पाकिस्तान में इन विमानों को बनाने के लिए कारखाना स्थापित करने पर भी सहमत हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन में विमान बनाने वाले कारखानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीन के सहयोग से पाकिस्तान रक्षा और अन्य क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। चीन द्वारा पाकिस्तान में पूंजी निवेश करने से पाकिस्तानी नागरिकों को रोजगार मिलेगा। शरीफ ने चीनी उद्योगपतियों से अनुरोध

किया कि वे पाकिस्तान में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खनिज आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मजदूरी सस्ती है और चीन पाकिस्तान में अपने उद्योगों को स्थापित करके और अधिक लाभ कमा सकता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में हुए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा समझौते के तहत चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में 35 अरब डॉलर का पूंजी निवेश किया है। इसके कारण पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है।

तालिबान द्वारा पाठ्यपुस्तकों को शरिया के अनुसार ढालने का अभियान

अवधनामा (10 सितंबर) के अनुसार तालिबान सरकार ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन करके उसे इस्लामी शरिया के अनुरूप बनाने का फैसला किया है। इस नई नीति के तहत पाठ्यक्रम से अनेक विषयों को हटाया जा रहा है और सैकड़ों पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया जा रहा है ताकि पाठ्यपुस्तकों को शरिया के अनुसार ढाला जा सके। उच्च शिक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर के 18 विषयों को हटा दिया गया है। जबकि 201 विषयों पर इस्लामिक विद्वानों की एक समिति विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त 679 पाठ्यपुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन विषयों को पाठ्यक्रम से हटाया गया है उनमें मौलिक अधिकार, राजनीतिक इस्लामी आंदोलन, मानवाधिकार, लोकतंत्र, अफगान संविधान, महिलाओं की सामाजिक भूमिका, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक विज्ञान और यौन उत्पीड़न जैसे विषय शामिल हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार ऐसे पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक को सहन नहीं करेगी, जो वहाबी दृष्टिकोण के अनुसार न हो। जिन 679 पाठ्यपुस्तकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कानून, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इस्लामिक चिंतन, दर्शनशास्त्र, कुरान की परिभाषा और शरिया से संबंधित टिप्पणियां भी शामिल हैं। इस्लामिक विद्वानों की समिति ने कहा है कि जिन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे इस्लामिक विचारधारा के अनुरूप नहीं थीं। इनमें से कई पुस्तकें ऐसी थीं, जिन्हें विश्वविद्यालयों के इस्लामिक शिक्षा विभाग में पढ़ाई जाती थीं।

विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान की इस नई नीति के कारण कई मुस्लिम विद्वानों को विदेशों में शरण लेनी पड़ सकती है। तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले ऐसे कई प्राध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया है, जिन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उनके स्थान पर इस्लामिक संस्थानों या मदरसों से शिक्षा प्राप्त लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की पात्रता की जांच के लिए एक विशेष साक्षात्कार अभियान चलाया जा रहा है। इन साक्षात्कार पैनलों में सिर्फ सुन्नी और वहाबी विचारधारा में पारंगत लोगों को ही शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे प्राध्यापकों को उनके पदों से हटाना है, जिनकी विचारधारा या शिक्षा तालिबान की विचारधारा से अलग है। तालिबान के नेताओं का मत है कि उनके देश में सिर्फ इस्लामिक व्यवस्था के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके कारण अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अन्य देशों में नौकरी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका के टेक्सास राज्य में शरिया कानून पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (15 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी राज्य टेक्सास में शरिया कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे मुसलमानों में असंतोष की भावना बढ़ गई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि उनके राज्य में इस्लामिक शरिया कानून पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह कानून अमेरिकी सामाजिक संरचना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन उन्हें शरिया कानून का पालन करने पर मजबूर करता है तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस या जनसुरक्षा विभाग को सूचित करें। बताया जाता है कि टेक्सास के ह्यूस्टन शहर से एक मौलवी का वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में मौलवी लाउडस्पीकर पर दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने का निर्देश देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गवर्नर ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से राज्यवासियों को परेशानी होती है। हम किसी भी व्यक्ति को राज्य की जनता पर कोई भी धार्मिक कानून थोपने की अनुमति नहीं देंगे। एबॉट ने कहा कि उन्होंने शरिया कानून पर प्रतिबंध से संबंधित एक सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है।

2017 में पारित अमेरिकन लॉज फॉर अमेरिकन कोर्ट्स में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अमेरिकी अदालतें किसी भी विदेशी या धार्मिक कानून को लागू नहीं कर सकतीं, इसलिए इस्लामिक शरिया कानून को अमेरिकी जनता पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) ने गवर्नर ग्रेग एबॉट द्वारा जारी आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि शरिया कानून सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है। यह कोई सरकारी कानून नहीं है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसी साल की शुरुआत में गवर्नर एबॉट ने ईस्ट प्लानो इस्लामिक सेंटर (ईपीआईसी) द्वारा प्रस्तावित 400 एकड़ के रिहायशी और व्यावसायिक परिसर का विरोध किया था। इसके तहत आवास, स्कूल, मस्जिदें, मदरसे और अन्य व्यापारिक संस्थान स्थापित करने की योजना थी। गवर्नर ने आरोप लगाया था कि इस परिसर को शरिया जोन में बदले जाने की संभावना है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि गवर्नर एबॉट का रुख इस्लाम विरोधी है और उन्होंने जानबूझकर शरिया कानून को निशाना बनाया है।

खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में झड़प

औरंगाबाद टाइम्स (15 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले सप्ताह सेना और आतंकवादियों के बीच हुई झड़पों में लगभग 100 आतंकवादी और 39 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी सेना पर चार बार हमले किए। सबसे बड़ी मुठभेड़ बाजौर जिले में हुई। यहां पर सेना ने आतंकवादियों के अड्डों पर छापे मारे। इसके बाद हुई झड़पों में 50 आतंकवादी समेत 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दक्षिणी वजीरिस्तान में हुई अलग-अलग तीन झड़पों में 45 आतंकवादी मारे गए। इसके अतिरिक्त 19 सैनिक भी मारे गए। सेना ने दावा किया है कि इन हमलों का संचालन अफगानिस्तान की सीमा से किया जा रहा है और मृतक आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मरने वाले सैनिकों की नमाज-ए-जनाजा में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में विदेशी इशारे पर आतंकवाद की जो ज्वाला भड़काई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम इसका मुकाबला करने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि जब तक एक-एक आतंकवादी का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक सेना का यह अभियान जारी रहेगा। मुनीर ने दावा किया कि आतंकवादियों के कब्जे से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और मरने वाले लोग अफगान नागरिक हैं।

चट्टान (5 सितंबर) के अनुसार इस महीने की शुरुआत में क्वेटा की एक जनसभा में हुए आत्मघाती धमाके की जिम्मेवारी इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। गौरतलब है कि इस धमाके में 15 लोग मारे गए थे और 38 घायल हो गए थे। बलूचिस्तान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हमजा शफकत ने कहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था और हमलावर की उम्र लगभग 20 साल थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष सरदार अख्तर मेंगल ने दावा किया है कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जो इस बहाने बलूचिस्तान में आजादी के लिए चल रहे आंदोलन को कुचलना चाहती है।

चट्टान (2 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने काबुल स्थित पाकिस्तानी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। अफगानिस्तान सरकार ने विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर ड्रोन हमलों के जरिए निर्दोष अफगान नागरिकों की हत्या कर रही है। अफगान विदेश मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान की भूमि की सुरक्षा करना अफगानिस्तान सरकार की जिम्मेवारी है। पाकिस्तान द्वारा जिस तरह से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे।

कतर स्थित हमास के मुख्यालय पर इजरायली हमला

इंकलाब (10 सितंबर) के अनुसार इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा स्थित हमास के मुख्यालय को अपना निशाना बनाया है। इजरायली टीवी 'चैनल 12' को एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि इजरायल को कतर स्थित हमास के मुख्यालय पर हमला करने की अनुमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दी थी। जबकि हमास ने 'अल जजीरा' को बताया कि इस हमले का लक्ष्य हमास की ओर से वार्ता करने वाली टीम को निशाना बनाना था। 'अल अरेबिया' के अनुसार इजरायली हमले में दोहा के कतारा क्षेत्र में हमास के प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाया गया है। धमाके के समय यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के उस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, जिसमें गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई का उल्लेख था। दूसरी, ओर इजरायल का दावा है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख खलील अल-हय्या को निशाना बनाया था। हालांकि, वह इस हमले में बच गया, लेकिन उसका बेटा हुमाम मारा गया। इसके अतिरिक्त इस हमले में हमास के कुछ अन्य नेता भी मारे गए हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कतर पर इजरायली हमले को खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा है कि हम कतर के साथ खड़े हैं और इस हमले की निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने भी कतर पर इजरायली हमले की निंदा की है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रवक्ता सुहैल अल-हिंदी ने दावा किया है कि इस इजरायली हमले में हमास का कोई प्रमुख नेता नहीं मारा गया है। उसने कहा कि इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हय्या का बेटा हुमाम और खलील के कार्यालय प्रभारी जिहाद लबाद समेत पांच लोग मारे गए हैं। सुहैल अल-हिंदी ने कहा कि जब इजरायल ने कतर स्थित हमास के कार्यालय पर हमला किया तब हमास का नेतृत्व गाजा युद्धविराम के प्रस्ताव पर

विचार कर रहा था। उसने कहा कि इस हमले के बाद इजरायल के साथ किसी भी तरह के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता।

एक अन्य समाचार के अनुसार इस इजरायली हमले के बाद कतर ने गाजा में युद्धविराम के बारे में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। कतर के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इजरायल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका यह हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है और कतरी जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल शांति नहीं, बल्कि युद्ध चाहता है। प्रवक्ता ने कहा कि हम कतर के साथ डटकर खड़े हैं।

इंकलाब (13 सितंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कतर पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन उसने इजरायल का नाम नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कतर गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, इसलिए दोहा पर हमला बेहद चिंताजनक है। इस हमले से गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया है। इस बैठक में अल्जीरिया, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन, चीन, सोमालिया और स्लोवेनिया ने कतर पर इजरायली हमले को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन बताया है। इस आपात बैठक का अनुरोध अल्जीरिया, पाकिस्तान और सोमालिया ने किया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को इजरायली आक्रामकता के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का वर्चस्व कायम रह सके। उन्होंने कहा कि युद्धविराम में इजरायल की रुचि नहीं है, क्योंकि वह पूरे गाजा को हड़पना चाहता है।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) के अनुसार कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। भारत यह चाहता है कि इस तरह की समस्याएं आपसी बातचीत से हल की जाएं।

उर्दू टाइम्स (11 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला उनका नहीं, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था। अमेरिका ने कभी भी इस तरह के हमले का समर्थन नहीं किया है। कतर एक स्वतंत्र देश है और अमेरिका का सहयोगी है। वह अमेरिका के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि इस हमले के बारे में अमेरिका ने कतर को पहले ही सूचित कर दिया था। जबकि कतर ने इसका खंडन किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद मोहम्मद अल-अंसारी ने कहा है कि कतर को इस हमले के बारे में पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर

इजरायली बंधकों की रिहाई की उम्मीद पर पानी फिर गया है।

अवधनामा (11 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे बदमाश इजरायल के खिलाफ एकजुट हों और उसकी आर्थिक शक्ति को मिट्टी में मिला दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हम यह सोचते हैं कि इजरायल हमारे साथ उदार रवैया अपनाएगा तो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कतर इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजरायल को जवाब देना चाहिए।

सियासत (12 सितंबर) के अनुसार कतर में हमास को निशाना बनाने के सवाल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बहस हुई है। ट्रम्प ने कहा है कि वे इस हमले से खुश नहीं हैं। अमेरिका ने इस हमले को एकतरफा करार देते हुए कहा है कि इस हमले से अमेरिकी और इजरायली हितों को नुकसान पहुंचा है।

सियासत (10 सितंबर) के अनुसार हमास सूत्रों ने पुष्टि की है कि जब इजरायल ने हमला किया तो हमास के शीर्ष नेतृत्व की एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही थी। इस बैठक में खालिद मशाल, खलील अल-हय्या, जहेर जबरीन, मोहम्मद दरवेश और मूसा अबू मरजूक शामिल थे। समाचारपत्र ने कहा है कि इजरायल का निशाना चूकने के कारण हमास के ये प्रमुख नेता बाल-बाल बच गए।

सियासत (12 सितंबर) के अनुसार हाल ही में इजरायली आक्रामकता में भारी बढ़ोतरी हुई है। इजरायली सेना ने पिछले तीन दिनों में छह

को धमकी दी है कि वह हमास के नेताओं को अपने देश से बाहर निकाले। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने दोहा में जो कार्रवाई की है वह अमेरिका के 9/11 हमले के बदले जैसा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। उसे हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह कैसे भूल गया कि उसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी देश आतंकवादियों को शरण न दे। वे जहां भी होंगे उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम उसी नीति पर काम कर रहे हैं। कतर हमास के आतंकवादियों को शरण दे रहा है। उन्हें आवास और पैसे दिए जा रहे हैं। वे इस धनराशि से इजरायल के खिलाफ आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। हम वही कर रहे हैं, जो अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा था और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था।

कतर के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका के इशारे पर हमास के नेताओं को कतर में शरण दी गई थी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा है कि इजरायली हमले के कारण

देशों पर अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, कतर और यमन शामिल हैं। लेबनान पर हवाई हमले के बाद इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार ठिकाने और सैन्य संस्थानों को तबाह कर दिया है।

अवधनामा (14 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कतर पर इजरायल का हालिया हमला उन खाड़ी देशों के लिए खतरे की घंटी है, जो अल्लाह के बजाय अमेरिका पर निर्भर हैं। दुनिया देख रही है कि अरब देश अमेरिका के तुष्टिकरण के कारण इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। उनकी निंदा सिर्फ कागजी बयानों तक ही सीमित है। अमेरिका चाहता तो वह इजरायल को अरबों के नरसंहार के अभियान से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गाजा में युद्धविराम का जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया था उसे अमेरिका ने वीटो लगाकर रद्द कर दिया।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कतर पर इजरायली हमले से किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। अरब देश रसूल और कुरान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके तार ऐसे देश से जुड़े हुए हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करना चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ग्रेटर इजरायल का सपना देख रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अरब देशों की आंखें नहीं खुलती हैं तो उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। अब समय आ गया है कि अरब देश एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं। यह याद रखना चाहिए कि जब 1973 में अरब देशों ने तेल को हथियार बनाकर यूरोपीय देशों और अमेरिका को घुटने पर ला दिया था तो पूरी दुनिया कांप गई थी। आज हम उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। जरूरी है कि सभी मुस्लिम देश अमेरिका व पश्चिमी देशों को तेल और गैस की सप्लाई फौरन बंद कर दें। मुस्लिम देश इन पश्चिमी देशों का आर्थिक बहिष्कार करें और उनसे सभी तरह के संबंध तोड़ लें।

हिंदुस्तान (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र कतर की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो वह आलम-ए-इस्लाम के लिए अर्थहीन है। समाचारपत्र ने कहा है कि कतर ने तालिबान और इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के नेताओं को भी अपने देश में शरण दी थी, लेकिन अमेरिका ने उस पर कभी हमला नहीं किया। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह मध्यस्थ की पीठ में भी छुरा घोंप सकता है।

इंकलाब (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि इजरायल गाजा को हड़पना चाहता है और फिलिस्तीनियों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। यही कारण है कि वह संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी मध्यस्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

एतेमाद (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि एक ओर तो अमेरिका कतर को मध्यस्थ बनाकर हमास के साथ युद्धविराम का ढोंग रचता है। जबकि दूसरी ओर, वह इजरायल को आदेश देता है कि वह हमास के नेताओं को मौत के घाट उतार दे। अजीब बात है कि अमेरिका समझौता वार्ता के लिए शुरू से ही कतर का इस्तेमाल करता आ रहा है। तालिबान के साथ समझौते की शुरुआत भी कतर से ही की गई थी। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि अमेरिका लगातार इजरायल की पीठ ठोक रहा है ताकि वह अरबों में राष्ट्रीयता की भावना खत्म करके उन्हें इस्लाम से दूर कर सके।

स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में 142 देशों का समर्थन

अवधनामा (14 सितंबर) के अनुसार पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और इजरायल-फिलिस्तीन विवाद को खत्म करने के लिए दो राष्ट्र बनाने का समर्थन किया है। भारत ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन' को मंजूरी दी गई है, जो दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए पैरवी करता है। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से 142 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जबकि 10 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है। वहीं 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांस और सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किया था। इस साल के जुलाई महीने में इन दोनों देशों ने दो राष्ट्र की स्थापना पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की थी।

इस प्रस्ताव में गाजा में युद्धविराम के बाद पूरे फिलिस्तीन का प्रशासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की बात कही गई है। इसमें गाजा में हमास की सरकार खत्म करने और उसके हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की भी बात कही गई है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह फिलिस्तीन के मामले में भारत की पुरानी नीति के अनुरूप है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने इस प्रस्ताव को शांति की उम्मीद बताया है। बिना इजरायल का नाम लिए मंसूर ने कहा कि जो युद्ध और तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वे अब शांति की आवाज सुनें।

दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक योजना पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि यहां पर कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। यह भूमि हमारी है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि डैनी डैनन ने इस प्रस्ताव को एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि इससे सिर्फ हमास को लाभ होगा। अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अमेरिकी मिशन की काउंसलर मॉर्गन ऑटार्गस ने इसे गलत समय पर

किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को हमास के लिए एक उपहार बताया है।

गौरतलब है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर हमले की निंदा की गई है। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसमें इजरायल द्वारा गाजा की घेराबंदी और वहां के नागरिकों व बुनियादी ढांचों पर हमले की भी निंदा की गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में अब तक 64 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

उर्दू टाइम्स (13 सितंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। हम अपनी विरासत और एक-एक इंच भूमि की रक्षा करेंगे। हम किसी को भी उस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। बता दें कि नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार से संबंधित योजना पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना के तहत पूर्वी यरुशलम में 12 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नए घर, सड़कें और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में इजरायली मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना के पूरा होने से अलग फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का मंसूबा धूल में मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में बनाई गई सभी इजरायली बस्तियों को अवैध माना जाता है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार अगर कोई देश किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करता है तो वह उस क्षेत्र में अपनी आबादी नहीं बसा सकता है। हालांकि, इजरायल इस बात को मान्यता नहीं देता है। उसका दावा है कि 1967 के युद्ध से पहले वेस्ट बैंक किसी मान्यता प्राप्त राज्य में नहीं था, इसलिए उस

पर जिनेवा कन्वेंशन लागू नहीं होता है। इजरायल का यह भी तर्क है कि लोग अपनी इच्छा से इस क्षेत्र में रह रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (14 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का प्रस्ताव पारित होने से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। 142 देशों ने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राज्य बनाने का समर्थन किया है। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इससे पहले भारत जून 2025 में गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव पर तटस्थ रहा था, लेकिन फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में दुनिया में जो आवाज उठी है उसने भारत को इतिहास की याद दिला दी है। भारतीय विदेश नीति की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी। फिलिस्तीन ने 1988 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो भारत उन देशों में शामिल था, जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। राजीव गांधी के शासनकाल में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी जनता का जोरदार समर्थन किया था। खुशी की बात है कि अब भारत सरकार की जमीर जाग गई है और उसने स्वतंत्र फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है।

समाचारपत्र का कहना है कि भारत सरकार के इस फैसले से देश में एक वैचारिक जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे अपनी नैतिक विरासत की जीत बताई है। जबकि भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन एक अवसरवादी राजनीति है, जिसे वह भारत में एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए इस्तेमाल करती है। भाजपा अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान सिर्फ एक राजनयिक चाल है और भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी।

सियासत (13 सितंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यह भूमि इजरायल की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इजरायल इस क्षेत्र में यहूदियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी करना चाहता है। इस लक्ष्य से हजारों यहूदियों को इस क्षेत्र में बसाया जा रहा है। अब यह पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया है उसे कार्यान्वित किया जाए और इजरायल को उसे मान्यता देने के लिए मजबूर किया जाए। अगर इजरायल ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पश्चिमी देश इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इजरायल खुलेआम ग्रेटर इजरायल योजना का राग अलाप रहा है, लेकिन मुस्लिम जगत मूकदर्शक बना हुआ है।

अरब देशों द्वारा संयुक्त सेना बनाने पर विचार

रोजनामा सहारा (16 सितंबर) के अनुसार अरब देशों ने नाटो की तर्ज पर संयुक्त सेना बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव मिस्र ने पेश किया था और हाल ही में रियाद में हुए अरब देशों के शिखर सम्मेलन में इस पर विचार किया गया है। इस संयुक्त अरब सेना में अरब लीग के सदस्य देशों के सैन्य दस्ते और हथियार शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने पहली बार 2015 में शर्म अल शेख में हुए अरब शिखर सम्मेलन में अरब देशों की संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। तब इस शिखर सम्मेलन में मिस्र के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई थी। बाद में इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कतर पर इजरायली हमले के बाद इस प्रस्ताव पर फिर से विचार शुरू हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में मिस्र ने अरब देशों की संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के जवाब में पेश किया था। उस समय यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

मान्यता प्राप्त सरकार के पक्ष में लड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया गया था।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार मिस्र सरकार चाहती है कि इस संयुक्त सेना का मुख्यालय काहिरा में स्थापित किया जाए। इसका कारण यह है कि अरब देशों में सबसे बड़ी सेना मिस्र की है। मिस्र के इस प्रस्ताव के अनुसार अरब लीग के 22 देशों के सेनापतियों को बारी–बारी इस सेना का कमांडर नियुक्त किया जाएगा। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस संयुक्त सेना की कल्पना को साकार किया जाए और इसे कार्यान्वित करने में किसी भी तरह की देरी न की जाए। कतर पर इजरायली हमले के बाद कतर को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेला है, इसलिए अरब लीग के सभी सदस्य देशों को एकजुट होकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए।

गौरतलब है कि 9 सितंबर 2025 को कतर पर इजरायली हवाई हमले के बाद कतर ने अरब लीग का शिखर सम्मेलन आयोजित करने की मांग की थी। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे दोहरी नीति अपनाना बंद करें और एकजुट होकर इजरायल को उसके अपराधों की सजा दें।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि सिर्फ भाषणबाजी से इजरायल सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह जरूरी है कि अरब देश एक संयुक्त ऑपरेशन रूम बनाएं, जहां से अरब देशों की संयुक्त सेना की सैन्य कार्रवाईयों का संचालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी करना इस्लाम के लिए घातक होगा। ■

हूतियों पर इजरायल का हमला

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) के अनसार यमन की राजधानी साना में हुए इजरायली हवाई हमले में 50 से अधिक हूती विद्रोही मारे गए हैं। जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इजरायल इससे पहले हूतियों के पूरे मंत्रिमंडल का सफाया कर चुका है। हूती सरकार ने 35 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायल द्वारा हूतियों के सैन्य शिविरों और ईंधन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया था। इजरायल ने दावा किया है कि इस हमले में लगभग 100 हूती विद्रोही मारे गए हैं और 500 घायल हुए हैं। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से तेल अवीव हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। इजरायल ने यह हमला उसी के जवाब में किया है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में बढ़ते सैन्य तनाव पर चिंता प्रकट की है और दोनों पक्षों से अपील की है कि वे आपसी बातचीत से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें।

एतेमाद (13 सितंबर) के अनुसार यमन में इजरायली हमले में मारे गए लोगों की सामूहिक

नहीं बदल सकेगा और इसमें और भी तेजी आएगी। हम अल्लाह की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर अमेरिका व इजरायल के खिलाफ नारे लगाए गए।

एक अन्य समाचार के अनुसार हूतियों ने सऊदी अरब से 40 समुद्री मील दूर एक इजरायली जलयान पर

शव यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें कबाइली नेता, सैन्य कमांडर और आम नागरिक शामिल थे। हूती विद्रोहियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल-हूती ने कहा है कि यह हमला इजरायल के खिलाफ हमारे इरादों को

मिसाइलों से हमला किया। इस जलयान पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और इसकी मालिक एक इजरायली कंपनी है। सऊदी अरब के प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह इजरायली जलयान तेल लेकर जा रहा था।

नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

उर्दू टाइम्स (8 नवंबर) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी बोर्नो राज्य के एक गांव दारुल जमाल पर हमला किया। इस हमले में 60 लोग मारे गए। नाइजीरियाई वायु सेना ने दावा किया है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में लगभग 30 आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि बोको हराम का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में घुसे और बेरहमी से गोलीबारी की। इस दौरान आतंकवादियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। बोको हराम के आतंकवादियों ने इससे पहले भी इस क्षेत्र में हमला किया था। इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए थे। नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उनके रहने की व्यवस्था एक शिविर में की थी। गांव वाले हाल ही में इस शिविर से वापस अपने गांव आए थे। बोर्नो के गवर्नर बाबागाना जुलुम ने इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने गांव वालों से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।

इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्ट्डीज के एक शोधकर्ता ताइवो अदेबायो ने न्यूज एजेंसी 'एपी' को बताया कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है। मरने वाले अधिकतर लोग ईसाई थे। अदेबायो ने बताया कि हमलावर इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम के एक गुट जमाअतु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद से जुड़े हुए थे। यह संगठन नाइजीरिया में ईसाइयत का प्रसार और पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का विरोध करता है। यह आतंकवादी संगठन नाइजीरिया में कट्टर इस्लामिक शरिया शासन स्थापित करना चाहता है। इस संगठन को अरब संगठनों द्वारा हथियार और आर्थिक सहायता दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2009 से नाइजीरिया और उसके पड़ोसी देश नाइजर में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में अब तक लगभग 35 हजार लोग मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

सरकारी सूचना के अनुसार 2021 में बोको हराम के नेता अबू बकर शेकाऊ ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद यह संगठन दो गुटों में बंट गया। एक गुट इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस समर्थित है और इसे इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरे गुट का नाम जमाअतु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद है। ये दोनों गुट एक दूसरे के समर्थकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये इस क्षेत्र में रहने वाले ईसाइयों को भी निशाना बनाते हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

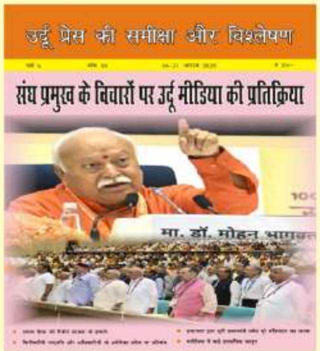

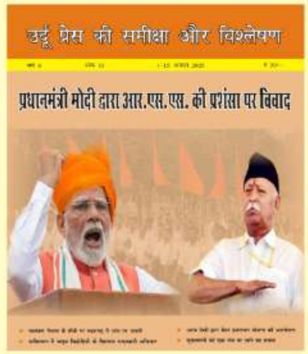

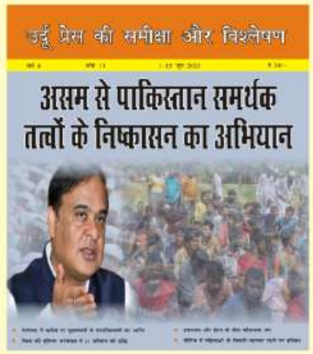

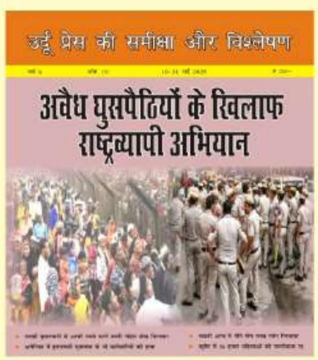

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in